संख्या–1176/1–11–2009–22(जी)/09 रा0–11

प्रेषक,

एस0एन0शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2009

विषय–वर्ष 2009 में बाढ़ प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलों के साथ–साथ सम्पत्ति को भी गम्भीर हानि होती है। अतः यह आवश्यक है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले सही तैयारी रखी जाय, ताकि बाढ़ की स्थिति में जन एवं धन की हानि कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सके।

शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। अपितु अपेक्षा यह है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिया जाय। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुंचाना जिलाधिकारी का दायित्व है। अतः राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिये न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषण की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय। आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने की कार्यवाही करने हेतु बाढ़ मैनुअल में उल्लिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

इस आशय से बाढ़ के सम्बन्ध में विस्तृत बाढ़ मैनुअल बाढ़ से निपटने हेतु सुलभ संदर्भ के रूप में शासनादेश संख्या–1789/1–11–2008–17 (जी)/2007 दिनांक, 21 मई, 2008 से भेजा जा चुका है। कृपया इस का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(एस0एन0शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या–1176(1)/1–11–2009 तद्दिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बाढ़ की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग–11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम, टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. प्रमुख सचिव,गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव,कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव,खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव,पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या–1176 (2)/1–11–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, मौसम केन्द्र,अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
13. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी लखनऊ।
14. राजस्व अनुभाग–10 एवं 11 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।